

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 151 / 2011
संस्थान दिनांक 31.03.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, ठीकरी
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

मनोहर पिता नानुराम, आयु 35 वर्ष
निवासी-ग्राम शेरपुर, थाना मानपुर,
जिला इन्दौर म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 07.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 25/2011 अंतर्गत 279, 337, 338 भा.द.सं. में दिनांक 31.03.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 09.02.2011 को प्रातः लगभग 7:30 बजे, घोलाना फाटा के पास, फोरलेन ग्राम बरूफाटक में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से फरियादी सुशील, संजय, कमल व राखी को टक्कर मारकर उपहति कारित करने तथा फरियादी वंशिका को घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.02.2011 को फरियादी लोकेन्द्र सोहनी टाटा इंडिका विस्टा कार क्रमांक एम. पी. 09 सी.ई. 5999 से वह तथा सुशील, संजय, राखी एवं वंशिका बैठकर औंकारेश्वर से से सेंधवा जा रहे थे। वाहन को कमल चला रहा था। फरियादी की इंडिका जैसे ही घोलाना फाटे के पास ए.बी. रोड फोरलेन के पास पहुँची कि सामने से सेंधवा की ओर से आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9450 का चालक अपनी आयशर को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की इंडिका को टक्कर मार दी जिससे उसमें बैठे व्यक्तियों सुशील, संजय, वंशिका तथा कमल को चोटें आई थी तथा इंडिका को भी नुकसान हुआ था। पुलिस ने फरियादी लोकेन्द्र सोहनी द्वारा की गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 25/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी लोकेन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 एच.एफ. 0180 का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 5 बनाया। पुलिस ने मनोहर से आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 तथा उक्त वाहन के दस्तावेज तथा चालक की अनुज्ञप्ति जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया। फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा चिकित्सक ने चिकित्सीय परीक्षण में आहत वंशिका को अस्थि भंग की चोट होने पर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत 279, 337, 338 भा.द.सं. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.02.2011 को प्रातः लगभग 7:30 बजे, घोलाना फाटा के पास, फोरलेन ग्राम बरूफाटक में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी सुशील, संजय, कमल व राखी को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी वंशिका को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में लोकेन्द्र (अ.सा.1), कमल (अ.सा.2), सुशील शर्मा (अ.सा.3), राखी शर्मा (अ.सा.4), डॉ. अनूप सक्सेना (अ.सा.5) एवं कु. वंशिका गौड़ (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारणीय प्रश्न 1 के 3 संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में लोकेन्द्र असा1 का कथन है कि दिनांक 09.02.11 को प्रातः 7 से 7:30 बजे घटना वाले दिन वह, सुशील, राखी, संजय, वंशिका तथा चालक कमल इंडिका कार क्रमांक एम.पी. 09 सी.ई. 5999 से औंकारेश्वर से सेंधवा जा रहे थे। ठीकरी एवं बरूफाटक के मध्य में सेंधवा की ओर से आ रहे आयशर वाहन ने उसकी इंडिका कार को सामने से टक्कर मार दी। आयशर वाहन एकदत से उसकी वाहन में घुस गया। आयशर वाहन का चालक वाहन को लापरवाहीपूर्वक चला रहा था। आयशर का पूरा क्रमांक उसे याद नहीं है। केवन 9455 उसे याद है। दुर्घटना में सभी को चोटें आई थी। उसे घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लेखबद्ध कराई थी, जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, घटनास्थल नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 3 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में आयशर का क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 लिखा था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल में रोड़ एक ओर से बंद होकर वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटनास्थल वाला मार्ग कच्चा था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटना वाला मार्ग पक्का बना हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी वाहन का चालक अन्य वाहन को ओव्हरटेक करके आगे निकला था और सामने से वाहन आने पर चालक घबरा गया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनके चालक की गलती से टक्कर हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घायलों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जुलवानिया गया था, बाद में रिपोर्ट लिखाने ठीकरी वापस आया था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि टक्कर मारने वाला वाहन डिवाइडर पर खड़ा था, तब उसने नम्बर देखा था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्रदर्शपी 1 से लगायत 3 के पंचनामों पर हस्ताक्षर थाने पर किये थे, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

9. कमल असा 2, सुशील शर्मा असा 3, राखी शर्मा असा 4, कुमारी वंशिका असा 6 ने भी दुर्घटना में उन सभी को चोटें आने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह कथन है कि उन्हें आयशर वाहन का क्रमांक याद नहीं है। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर भी कमल असा 2 एवं सुशील शर्मा असा 3 तथा अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर वंशिका असा 6 ने पुलिस को कथन में आयशर वाहन का क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9455 लिखाने से इंकार किया है। साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि आयशर वाहन का चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक से चला रहा था।

10. डॉ. अनुप सक्सेना असा 5 ने दिनांक 09.02.11 को शारदा आर्थो पेडिक सेंधवा में कु. वंशिका गौर पिता विनोद गौर, आयु 10 वर्ष निवासी—मोरटक्का को वाहन में दुर्घटना में चोट आने पर चिकित्सा हेतु मिनल शर्मा द्वारा लाये जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि वंशिका के दाहिने पैर की फिमर अस्थि में भंग होना पाया था। साक्षी ने एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 6 एवं 7 भी प्रमाणित किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि संबंधित थाने द्वारा उससे पूछा गया कि क्या वंशिका कथन देने में सक्षम है तब उसने लिखा था कि वंशिका कथन देने में सक्षम नहीं है। साक्षी ने प्रदर्शपी 10 का पत्र भी प्रमाणित किया है। उक्त साक्षियों के अतिरिक्त किसी साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबकि आहत साक्षियों ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का क्रमांक देखने से इंकार किया है यहाँ तक कि पुलिस को अपने कथन में उक्त वाहन का नम्बर बताने से भी इंकार किया है। लोकेन्द्र असा 1 ने भी न्यायालय कथन के दौरान वाहन का क्रमांक याद नहीं होना बताया है। साथ ही किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्त की पहचान दुर्घटना के समय दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक को नहीं देखना बताया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है

कि अभियुक्त ने दिनांक 09.02.11 को प्रातः 7:30 बजे बरूफाटक लोक मार्ग पर उक्त आयशर वाहन को उतावेलपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर साक्षी सुशील, संजय, कमल एवं राखी एवं वंशिका का जीवन संकटापन्न किया तथा वंशिका को घोर उपहति तथा शेष साक्षियों को उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 279, 337, 338 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त मनोहर के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त मनोहर को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 338 भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 09 सी.ई. 9544 दिनांक 11.02.2011 को उसके पंजीकृत स्वामी संजय पिता ओमप्रकाश, निवासी—मानपुर को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी